

सर्वोच्च न्यायालय ने SLP नपिटान को प्राथमिकता दी

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वशिष्ठ अनुमतियाचकिताओं (Special Leave Petitions- SLP) के मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष दायर होने वाले मामलों के भारी बोझ को कम करना है, साथ ही लंबती मामलों की संख्या को भी कम करना है।

- दिसंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में 82,000 से अधिक मामले लंबती हैं, जिसने **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** को ऐसी रणनीतियों को लागू करने के लिये प्रेरित किया है।


वशिष्ठ अनुमतियाचकिता (SLP) क्या है?

- परचिय:**
 - SLP एक विविकाधीन अपील तंत्र है (**भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136**) जो सर्वोच्च न्यायालय को कसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के नियमों, डिक्री या आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने की अनुमति देता है।
 - यह **सशस्त्र बल न्यायाधिकरणों** पर लागू नहीं है।
- उत्पत्ति:**
 - "वशिष्ठ अनुमति" की अवधारणा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है, जिसमें अपील के लिये वशिष्ठ अनुमति प्रदान करने के विविषाधिकार को मान्यता दी गई थी।
- प्रमुख विषयों:**
 - यह सविलि और आपराधिक दोनों मामलों पर लागू है।
 - इसका प्रयोग आमतौर पर कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों या न्याय की वफिलता से संबंधित मामलों में किया जाता है।
 - यह सर्वोच्च न्यायालय का असाधारण अधिकार क्षेत्र है, जो उसे ऐसे मामलों में भी सुनवाई करने में सक्षम बनाता है, जहाँ अपील का कोई प्रत्यक्ष अधिकार मौजूद नहीं है।
 - यह पूरणतः सर्वोच्च न्यायालय के विविक पर दिया जाता है, जो बनियां कारण बताए छुट्टी देने से इनकार कर सकता है।
 - जब सर्वोच्च न्यायालय वशिष्ठ अनुमतियाचकिता मंजूर करता है, तो वह एक औपचारिक अपील में प्रविरत्ति हो जाती है, जिससे मामले की विस्तृत जाँच हो जाती है और अंतमि फैसला सुनाए जाने से पहले दोनों पक्षों को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाता है।
- पात्रता:**
 - सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिये उपयुक्तता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया गया है।
 - इसमें विधिया अन्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।
 - कोई भी पीड़ित पक्ष **उच्च न्यायालय** या न्यायाधिकरण के नियमों या आदेश के विरुद्ध SLP दायर कर सकता है, विशेष रूप से जहाँ:
- SLP दायर करने की समय सीमा:**
 - उच्च न्यायालय के नियम की तथियों से **90 दिनों** के भीतर SLP दायर की जा सकती है।
 - यदि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिये उपयुक्तता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर देता है, तो SLP ऐसे इनकार की तारीख से **60 दिनों** के भीतर दायर की जानी चाहिये।

SLP दायर करने की प्रक्रिया:

II

Special Leave Petition Process



सर्वोच्च न्यायालय के मामलों से संबंधित SLP क्या हैं?

- 1972 का अनुच्छेद 136 के तहत अपील के दौरान, न्यायालय कार्यवाही में तेज़ी लाने, पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय के हतों को बनाए रखने के लियाद के घटनाक्रमों पर विचार कर सकता है।
- 2000 का अनुच्छेद 136 के तहत अपील का SLP मंजूर करने से इनकार करना उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है।
 - यह विविधिकार सुनिश्चिति करता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल न्यायकि जाँच की आवश्यकता वाले मामलों में ही हस्तक्षेप करेगा।
- 1950 का अनुच्छेद 136 के तहत अपील का संघरण से प्रयोग करना चाहिये, केवल असाधारण मामलों में ही उच्च न्यायालय के नियमों में हस्तक्षेप करना चाहिये।
 - एक बार अपील स्वीकार हो जाने पर, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए कसी भी गलत कानूनी निषिकरण को चुनौती दे सकता है।
- 2007 का अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय ने संपष्ट किया कि अनुच्छेद 136 एक साधारण अपीलीय फोरम की स्थापना नहीं करता है, बल्कि वादियों को अपील का अधिकार प्रदान करने के बजाय, न्याय सुनिश्चिति करने के लिये हस्तक्षेप करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक विकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है।
 - अविकृष्ट तरीके से SLP दायर करना अनुच्छेद 136 के उद्देश्य के विरुद्ध है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा के वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानवृत्त कसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
- भारत में कसी भी उच्च न्यायालय को अपने नियम के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-prioritising-slps-disposal>

